दिनांक 29 सितंबर 2010 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ. सीएचडी.सं.695/03.01.03/ 2010-2011 का अनुलग्नक

बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों में निपटान तथा चूक पर कार्रवाई संबंधी निदेश

(भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10(2) के अधीन जारी)

1. परिचय

1.1 बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल निपटान प्रणालियां (जैसे कि चेक, ईसीएस या एनईएफटी) अति महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली संघटक हैं जिनमें काफी मात्रा में लेनदेन होते हैं और ग्राहकों में (सुविधा के कारण) और बैंकरों में (निम्न चलनिधि आवश्यकताओं के कारण) लोकप्रिय हैं। ऋण के आकार को कम करने तथा सहभागी बैंकों की चलनिधि जोखिम को कम करके भी नैटिंग से विनियामकों को लाभ पहुंचता है जिससे प्रणालीगत जोखिम पर नियंत्रण लगता है।

1.2 ऐसी सभी निवल निपटान प्रणालियों के लिए यह आवश्यक है कि नैटिंग तथा निपटान व्यवस्थाओं के लिए विधिक निश्चितता हो। ऐसी प्रणाली के माध्यम से निपटाए गए लेनदेनों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित सांविधिक निर्धारणों में भ्रम न हो।

1.3 निवल निपटान स्थिति (फाइनैलिटि), अभी तक, यूआरआरबीसीएच अपना कर प्रणाली प्रदाताओं द्वारा प्रणाली सहभागियों के साथ द्विपक्षीय करार करके प्राप्त की जाती थी।

1.4 भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (अधिनियम) के लागू हो जाने तथा उसके अधीन विनियम बनाए जाने के कारण, नैटिंग की प्रक्रिया को सांविधिक मान्यता मिल गई है। अधिनियम की धारा 23 में यह प्रावधान है कि भुगतान दायित्व होने के तुरंत बाद ऐसी कार्यविधि के अनुसार किया गया निपटान बदला नहीं जा सकता और ऐसे निपटान के परिणामस्वरूप, भुगतान दायित्व निर्धारित हो जाता है चाहे ऐसे दायित्व का वास्तविक भुगतान किया गया हो या नहीं।

1.5 निवल निपटान स्थिति के पहलू को सुदृढ़ बनाने तथा बहुपक्षीय और आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों को चूक पर कार्रवाई करने की कार्यविधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि निपटान तथा चूक पर कार्रवाई करने के संबंध में एक निदेश जारी किया जाए। निपटान पहलुओं की निश्चितता को स्पष्ट करने के अतिरिक्त, यह निदेश रिज़र्व बैंक (बैंक) द्वारा अनुमोदित सभी बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों की चूक पर कार्रवाई करने संबंधी कार्यविधियों में पारदर्शिता तथा एकरूपता

लाएगा।

1.6 यह निदेश बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल भुगतान प्रणालियों में निपटान जोखिम से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही नैटिंग योजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूनतम मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है।

1.7 बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों निपटान तथा चूक पर कार्रवाई संबंधी निदेश अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 10(2) द्वारा बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

2. परिभाषाएं

इस निदेश में, जब कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,

2.1 " समाशोधन गृह " का अभिप्राय है चेकों या इलैक्ट्रानिक अनुदेशों के त्वरित तथा किफ़ायती संग्रहण तथा समाशोधन के लिए सदस्य बैंकों की सामूहिक इकाई, जो बैंक द्वारा जारी यूआरआरबीसीएच/कार्यविधि संबंधी दिशानिर्देशों से नियंत्रित होती है।

2.2 " पुनर्गणना " का तात्पर्य है ऐसे भुगतान दायित्वों के संबंध में चूक पर कार्रवाई करने संबंधी कार्यविधि जिनका निपटान बैंक की बहियों में रिकार्ड करने के बाद नहीं किया गया। पुनर्गणना की स्थिति में चूककर्ता बैंक को देय और प्राप्य सभी राशियां समाशोधन गृह द्वारा (निपटान बैंक से अनुरोध प्राप्त होने पर) रिवर्स कर दिए जाएंगे जैसे कि चूककर्ता बैंक ने समाशोधन में भाग नहीं लिया हो।

2.3 " निपटान बैंक " का अभिप्राय है वह बैंक जो समाशोधन तथा/या अन्य दायित्वों के निपटान के लिए सभी सदस्य बैंकों के निपटान खातों का रखरखाव करता है।

2.4 इस निदेश में प्रयुक्त अन्य शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अभिप्राय तथा उद्देश्य वही होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों में निपटान निर्धारण के लिए कार्यविधि

3.1 निपटान का निर्धारण

3.1.1 चेक समाशोधन में, निर्धारित समाशोधन अवधि (विंडो) खत्म होने के बाद, समाशोधन गृह प्रत्येक बैंक के लिए निवल निपटान स्थिति का निर्धारण करेंगे। यह उन सभी लिखतों पर आधारित है जो निवल निपटान स्थिति का निर्धारण के लिए समाशोधन गृह द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

3.1.2 जिन समाशोधन गृहों में प्रसंस्करण परिचालन रात में किए जाते हैं या जब निपटान बैंक परिचालन के लिए नहीं खुला है, तो निवल निपटान स्थिति की गणना का समय दैनिक परिचालनों के लिए निपटान बैंक के खुलने से एक घंटा पहले होगा। प्रसंस्करण पूरा होने के समय और निवल निपटान स्थिति की गणना के बीच का समय प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है जिसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निवल निपटान स्थिति सही है, वाउचरों में राशि सही प्रकार से दर्ज किए गए हैं (निपटान बैंक को भेजने के लिए), राशियों की सूचना उचित प्रकार से निपटान बैंक को दे दी गई है और ऐसे अन्य कार्य।

3.1.3 निपटान बैंक खुल जाने के बाद, निपटान स्थिति को दर्ज करने के लिए निपटान बैंक को तीस मिनट की एक समय अवधि (विंडो) दी जाएगी। इस अवधि में बैंक, निपटान बैंक के साथ अपने खातों में निधियां डाल सकेंगे ताकि समाशोधन दायित्व का सुचारू रूप से निपटान किए जा सकें।

3.1.4 जहां निपटान बैंक परिचालनों के लिए खुला है, वहां समाशोधन गृहों के प्रसंस्करण परिचालनों के लिए समाशोधन गृह द्वारा निवल निपटान स्थिति के समय से समाशोधन दायित्वों के निपटान के लिए निपटान बैंक की बहियों में स्थिति दर्ज करने के समय तक अधिकतम समय तीस मिनट होगा।

3.1.5 इलैक्ट्रानिक बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों (जैसे कि इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस, नेशनल इलैक्ट्रानिक फंड्स ट्रांस्फर तथा उनके सहबद्ध रूप) जहां प्रसंस्क्रण परिचालन रात में किए जाते हैं या जब निपटान बैंक परिचालनों के लिए खुला नहीं हो, निवल निपटान स्थिति की गणना का समय दैनिक परिचालनों के निपटान बैंक के खुलने के समय से एक घंटा पहले होगा (उपर्युक्त 3.1.2 पर विनिर्दिष्ट)। परिचालनों के लिए निपटान बैंक के खुलते ही निपटान के लिए समाशोधन दायित्वों का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उपर्युक्त 3.1.3 पर दी गई 30 मिनट की अतिरिक्त अवधि (विंडो) इलैक्ट्रानिक बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

3.1.6 इलैक्ट्रानिक बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों के मामले में जहां प्रसंस्क्रण तब होता है जब निपटान बैंक परिचालनों के लिए खुला है, निवल निपटान स्थिति की सूचना समाशोधन दायित्वों के निपटान के लिए निपटान बैंक को तुरंत दी जाएगी। उपर्युक्त 3.1.4 पर दी गई तीस मिनट की समय अवधि (विंडो) इलैक्ट्रानिक बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

3.1.7 प्रत्येक समाशोधन गृह उस समय की सूचना देगा जब समाशोधन गृह निवल स्थिति की गणना कर लेगा और इसे निपटान बैंक की बहियों में निपटान दर्ज किया जाएगा। सदस्य बैंक अपने समाशोधन दायित्वों को पूरा करने के लिए निपटान बैंक की

बहियों में निपटान स्थिति दर्ज करने के समय विनिर्दिष्ट समय अवधि में, यदि कोई हो, हर हाल में दायित्वों के निपटान के लिए अपने निपटान खाते में निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ।

3.2 निपटान बैंक की बहियों में निवल निपटान स्थिति दर्ज करना

3.2.1 निवल निपटान स्थिति के निर्धारण के बीच तथा निपटान बैंक की बहियों में निवल निपटान स्थिति को दर्ज करने के बीच समय जितना हो सके न्यूनतम होना चाहिए । ऐसा निपटान कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए है।

3.3 चूक पर कार्रवाई संबंधी कार्यविधि

3.3.1 निवल निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए निपटान खाते में सदस्य बैंक के पास निधियां न होने पर, निपटान बैंक के पास यह विकल्प होगा कि वह सदस्य बैंक के अनुरोध पर उसे समाशोधन ओवरड्राफ्ट या निभाव (अस्थाई या अन्यथा) दे ताकि निपटान बैंक की बहियों में समाशोधन दायित्वों का निपटान किया जा सके। ओवरड्राफ्ट देने की प्रक्रिया चूककर्ता सदस्य बैंक तथा निपटान बैंक के बीच एक द्विपक्षीय व्यवस्था होगी। किसी सदस्य बैंक को यह भी विकल्प होगा कि अन्य सदस्य बैंकों के साथ भी चलनिधि के लिए द्विपक्षीय व्यवस्थाएं करे। ऐसी द्विपक्षीय व्यवस्थाएं दायित्वों के निपटान के लिए निपटान बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट समय अवधि (विंडो) में (3.1.3 तथा 3.1.4 पर विनिर्दिष्ट) परिचालित तथा पूरी की जाएंगी।

3.3.2 अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने निपटान खाते में सदस्य बैंक द्वारा निधि न डाल सकने पर, निपटान खाते में कमी को चूक की स्थिति समझा जाएगा तथा चूक पर कार्रवाई करने संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

3.3.3 यदि निपटान गारंटीकृत है, तो चूक पर कार्रवाई करने संबंधी प्रक्रिया में मार्जिन राशि का प्रयोग, चूककर्ता बैंक को दी गई लाइन आफ क्रेडिट को प्रारंभ करना, हानि को शेयर करने या कोई अन्य गारंटीकृत कार्यविधि को सक्रिय करना शामिल होगा। चूक पर कार्रवाई करने को प्रवर्तित करने की कार्यविधि वैयक्तिक बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

3.3.4 जहां निपटान गारंटीकृत नहीं है, निपटान के पुनर्गणना की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, निपटान बैंक (समाशोधन गृह के अध्यक्ष से यथोचित सहमति लेकर) निपटान की पुनर्गणना करने के लिए समाशोधन गृह से अनुरोध करेगा।

3.3.5 निपटान के पुनर्गणना की प्रक्रिया के रूप में, समाशोधन गृह चूककर्ता सदस्य बैंक के सभी लेनदेन ' हटा ' देगा (प्राप्य तथा देय दोनों राशियां) जैसे कि उस बैंक ने

समाशोधन में भाग नहीं लिया हो ।

3.3.6 पुनर्गणित स्थिति की सूचना तुरंत निपटान बैंक को दी जाएगी और निपटान बैंक की बहियों में दर्ज की जाएगी।

3.3.7 यदि निपटान की पुनर्गणना के परिणामस्वरूप, यदि कोई अन्य सदस्य बैंक अपने समाशोधन दायित्व पूरा नहीं कर पाता, तो उपर्युक्त 3.3.3, 3.3.4 तथा 3.3.5 पर उल्लिखित कदम दुहराए जाऐंगे।

3.3.8 उपर्युक्त निपटान की पुनर्गणना की कार्यविधि को निपटान कार्यविधि का भाग माना जाता है।

3.3.9 चूक तथा उसके परिणामस्वरूप निपटान की पुनर्गणना होने पर, यदि इस बीच दिवालिएपन की स्थिति हो जाती है, तो तुरंत पहले के निपटान को अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा।

4 अन्य

4.1 पैरा 3 में उल्लिखित कदमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा जब तक कि समाशोधन गृह द्वारा निवल निपटान स्थिति की गणना से लेकर निपटान बैंक में सदस्य बैकों के खातों में निपटान दायित्वों के पूरा होने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

4.2 यदि किसी कारण से समाशोधन गृह द्वारा समाशोधन निपटान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो समाशोधन गृह निपटान के लिए लिखत/अनुदेश स्वीकार करते समय उस समय की घोषणा करेगा जब तक वह आगे बढ़ायी गई है तथा उस समय की भी जब निवल निपटान स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और निपटान बैंक को उसकी सूचना दी जाएगी।

4.3 वैयक्तिक समाशोधन गृह अपने अध्यक्ष के अनुमोदन से अन्य कदम उठा जा सकते हैं जैसे कि निवल नामे सीमा, प्रस्तुतीकरण सीमा आदि ताकि सदस्य बैंकों द्वारा चूक के जोखिम को कम किया जा सके। ऐसे कदम उपर्युक्त पैरा 3 में निर्धारित निपटान की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे।

5. निदेश का लागू होना

5.1 यह निदेश सभी बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों जैसे कि चेक (एमआईसीआर-चेक प्रसंस्करण केन्द्रों तथा अन्य समाशोधन गृहों, चेक ट्रंकेशन सिस्टम सहित), इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस (नामे, जमा तथा संबंधित रूपांतर, यदि कोई हो), नेशनल इलैक्ट्रानिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम तथा उसी प्रकार की अन्य प्रणालियों पर लागू

होगा।

5.2 तत्काल प्रभाव से, यह निदेश सभी समाशोधन गृहों, सिस्टम प्रदाताओं, समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों, सिस्टम प्रदाताओं द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियों के सदस्यों तथा सदस्य बैंकों के निपटान खातों का रखरखाव कर रहे बैंकों पर लागू होगा। रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य भुगतान तथा निपटान उत्पादों पर यह निदेश लागू होगा।

5.3 विभिन्न बहुपक्षीय तथा आस्थगित निवल भुगतान प्रणालियों में यूआरआरबीसीएच तथा कार्यविधि संबंधी दिशानिर्देश, जहां उनका संदर्भ आता है, निपटान तथा चूक पर कार्रवाई करने संबंधी कार्यविधियों के संबंध में निदेश भी शामिल है।